बजट/आव-12001/1/2022-बजट-DOLRS

I/118132/2024 **E-Mail**

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पटना

विषय :– मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण माँग संख्या– 40– विपत्र कोड– 40–2029001020101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 1514 दिनांक 04.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधिन पत्र के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1293 दिनांक 07.03.2024 मे वर्णित शर्त्तो के अधीन माननीय उच्च न्यायलय, पटना के द्वारा एम0जे0सी0 न0 1870/2018 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल– **71,03,620/– (एकहत्तर लाख तीन हजार छः सौ बीस)** रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्र0सं0	विषय शीर्ष/ईकाई कोड	समाहर्त्ता, पटना
1	40–2029001020101 28 04 (व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ)	**71,03,620/–**

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि आवंटन से प्राप्त राशि का व्यय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या 1293 दिनांक 07.03.2024 में वर्णित शर्त्तो के दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों में मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या एवं विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 3/24

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)।
2. अपर समाहर्त्ता, पटना।
3. प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना। ।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
5. श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।